आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–09 / 2024	
28.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्राम–लोगांई, पंचायत–पड़रिया, प्रखण्ड–राजमहल, जिला–साहेबगंज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा उपस्थित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दिनांक–13.03.2024 को ग्राम सभा तो कराया लेकिन राशन डीलर द्वारा अब तक सभी लाभुकों को बकाया राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग ने आज सशरीर सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के सामने शिकायतकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बताया कि जिन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, या जिन भी लाभुकों का राशन बकाया है, उन सबकी सूची तैयार कर सोमवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि लाभुकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची की पड़ताल कर देखें कि क्या वाकई लाभुकों का राशन बकाया है। यदि ऐसा है तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी लाभुकों को राशन बकाया सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग के आज के आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx168	